



मध्य प्रदेश शासन

म.प्र. स्टार्ट-अप नीति एवं
कार्यान्वयन योजना
2022



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

सूचकांक

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	परिचय	3
2	स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य	4
3	नीति फोकस क्षेत्र	4
4	नीति की अवधि और प्रयोज्यता	5
5	परिभाषाएं	5-6
6	स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग / सहायता	6-14
7	प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश	14
8	संशोधन / शिथिल/निरसन का अधिकार	14
9	अधिकार - क्षेत्र	14

मध्य प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022

1. परिचय

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसके अन्तर्गत उत्पाद आधारित

स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।

2. स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य

स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के मुख्य उद्देश्य प्रदेश में :-

- i. सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive intervention) और अन्य उत्प्रेरक (Catalyst) कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) का विकास।
- ii. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत (Registered) एवं मान्यता प्राप्त (Recognized) स्टार्ट-अप में 100% विकास दर प्राप्त करना।
- iii. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200% विकास दर प्राप्त करना।
- iv. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स (Product Start-ups) की संख्या में वृद्धि।
- v. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार।
- vi. स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
- vii. नवाचार (Innovation) और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास।
- viii. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना।

3. नीति फोकस क्षेत्र -

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति पाँच स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

- i. संस्थागत सहयोग (Institutional Support) ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस सहित।
- ii. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।
- iii. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- iv. विपणन सहयोग।
- v. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता।

4. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्य प्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

5. परिभाषाएं –

1. 'स्टार्टअप' से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता (recognized) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हो।

महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप (Product Start-up) से अभिप्रेत है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो, जिसका एक भौतिक आकार हो।
3. इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। साथ ही इसका स्टार्ट-अप इण्डिया मान्यता प्राप्त होना तथा मध्यप्रदेश में स्थापित/ कार्यरत होना अनिवार्य होगा।
4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (TBI) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।
5. मेजबान संस्था से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान् औद्योगिक प्रतिष्ठान/स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी/विशेष प्रयोजन इकाई (यां)।
6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TREDs) प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
7. राज्य स्तरीय स्टार्ट अप साधिकार समिति-से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती

अन्तर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

8. राज्य स्तरीय आंकलन/मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती State Innovation Challenge अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ।
9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति ।

6. स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग/सहायता –

स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।

6.1 संस्थागत सहयोग (Institutional Support) –

6.1.1 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/आयोजनों/कार्यशालाओं इत्यादि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

• स्टार्ट-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-

- i. राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।
- ii. स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिए

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय / सतत सम्पर्क करना।

- iii. निर्धारित रीति से किसी भी अनुमोदन / प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना।
- iv. यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
- v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।
- vi. केंद्र स्टार्टअप / नवोन्मेषी (Innovative) उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफार्मस् में अपनी सेवाओं / उत्पादों को पिच / शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेबी / आरबीआई / अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशकों / कॉर्पोरेट निवेशकों / अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी/ अन्य वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।
- vii. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।
- viii. स्टार्ट-अप्स को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
- ix. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्प्स, चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज़ तथा निवेशक सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन।
- x. स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
- xi. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन ।

• प्रस्तावित सेंटर हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था –

➤ कार्यकारी प्रमुख – 1

➤ विषय विशेषज्ञ - 3 (कानूनी मामले, विपणन एवं वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन प्रत्येक के लिए एक)

➤ सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी - 10

सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी को छोड़कर कार्यकारी प्रमुख तथा विषय विशेषज्ञों संबंधी मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवर विशेषज्ञों से की जावेगी। इन पदों को प्रचलित बाजार मापदण्डों/परिलब्धियों के अनुरूप वेतन प्रदान किया जावेगा। कार्यकारी प्रमुख का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 2.50 से 3.00 लाख एवं विषय विशेषज्ञ का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 1.00 से 1.50 लाख आंकलित होगा। उक्त पदों की व्यवस्था पूर्णतः संविदात्मक एवं अनुबंध के आधार पर 3 वर्षों के लिए होगी। इस अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।

सहयोगी कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग तथा उसके अधीन कार्यरत निगम/संस्थाओं में कार्यरत विद्यमान कार्यबल से की जावेगी।

• प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था -

एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट-अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी। वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एमपी स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना एवं स्टार्टअप/इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जायेगा।

6.1.2 सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल का विकास -

प्रदेश में स्टार्ट-अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जावेगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इन्व्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट-अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं इन्व्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः (Preferably) सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

6.1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation) -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर इन्दौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, आइआइएसईआर (IISER), आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ यथा संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटरनशिप को प्रोत्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट-अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।

6.1.4 ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस (EODB) –

प्रदेश के स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेट किया जावेगा। आवश्यक अनुमति/सम्मतियों के लिए कार्यान्तर स्वीकृति (Post Facto) की व्यवस्था

सुनिश्चित की जावेगी। मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस गारन्टी अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित, 2020) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप मान्य अनुमोदन (Deemed Approval) भी प्रदान किया जावेगा।

6.2 विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/सहायता (Marketing & Liquidity Support/Assistance) -

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित) निम्नानुसार प्रावधान किए जावेंगे -

- रुपये 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट-अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों/मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी। रुपये 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझो तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा/उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।
- रुपये 1 करोड़ से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं (NIT)/प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट-अप के लिए आकल्पन प्रमाण (Proof of Concept) को मान्य/स्वीकार किया जावेगा।
किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- राज्य शासन के समस्त निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में सुरक्षा निधि (Security Deposit) बयाना राशि (EMD) से छूट प्राप्त होगी।
- अन्य -
राज्य सरकार के निगम मण्डलों तथा प्रमुख विभागों को यथासंभव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत TREDIS Platform (Trade Receivable Discounting System) से जोड़ा जावेगा, ताकि स्टार्ट-अप्स को नकद तरलता की कमी (Liquidity Crunch) का सामना ना करना पड़े।

6.3 वित्तीय सहायता (Financial Assistance) –

6.3.1. प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स –

- **प्राप्त निवेश पर सहायता** - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/ RBI द्वारा अधिमान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15% की दर से अधिकतम रूपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी। यह सहायता स्टार्ट-अप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15% की दर से देय होगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी।

- **महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को अतिरिक्त 20 प्रतिशत की सहायता।**
- **आयोजन सहायता** - स्टार्ट-अप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- **इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता** - इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किन्तु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्क्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20% की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। यह सुविधा इन्क्यूबेटर के सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
- **लीज रेंटल सहायता** – स्टार्टअप्स को लीज पर लिये गये कार्यस्थल हेतु चुकाये गये प्रतिमाह किराये का 50% अधिकतम रु. 5000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिये। उक्त सहायता राज्य शासन अथवा राज्य शासन से सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टर्स में स्थापित उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को उनके द्वारा लीज पर लिये गये भू-खण्ड/शेड/निर्मित स्थान पर चुकाये गये लीज रेंट एवं संधारण शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। परन्तु उक्त सहायता किसी भी परिस्थिति में उक्त मदों में चुकायी गयी राशि के 50% अधिकतम रु. 5000/- प्रतिमाह एवं तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- **पेटेंट सहायता** - पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपए रूपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो।

6.3.2 उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग-

- एक वर्ष हेतु समवर्ती अनुज्ञप्ति/सम्मति (Concurrent License/Consent) की सुविधा।
- एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा ।
- **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - स्टार्ट-अप्स को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रूपए 13000 प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिये अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।
- **रोजगार सृजन अनुदान** - नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी एवं अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अन्दर	50%
2	2 वर्ष के अन्दर	75%
3	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

- **विद्युत शुल्क पर छूट :-** सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 3 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
- **विद्युत टैरिफ में रियायत :-** नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों हेतु 5 रुपये प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।
- प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा।

6.3.3 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता -

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति का गठन किया जावेगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा -

- रूपए 1 करोड़ तक अनुदान, जिसे अधिकतम चार चरणों अथवा इस हेतु सक्षम समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्पापित किया जावेगा। चयनित स्टार्ट-अप्स का आंकलन, निगरानी एवं मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।
- समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति।

- दो वर्षों हेतु राज्य उपार्जन में सहायता। उपयुक्त पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर होने वाले संशोधन सहित) के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।
- अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग/कार्यालयीन सहयोग सहित बैठक व्यवस्था।
- उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप चयनित होने की दशा में उसे नीति में उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप हेतु प्रावधानित सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7. प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश – स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ संलग्न प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अनुसार प्रदान किया जावेगा।

8. संशोधन / शिथिल/निरसन का अधिकार -

नीति अन्तर्गत प्रावधानों के रहते मध्य प्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

- 7.1 इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।
- 7.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
- 7.3 नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश / स्पष्टीकरण / दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
- 7.4 इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 अप्रभावी हो जावेगी।

9. अधिकार क्षेत्र

किसी भी विवाद के मामले में, न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा।